नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2011

का.नि.आ. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सैनिक इंजीनियर सेवा में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी) भर्ती (संशोधन), नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हता आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	3343* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 रुपए (ग्रेड वेतन 4200 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1 :** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख

		(6)
		होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या (I) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या बोर्ड से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा; और (II) सिविल इंजीनियरी संकर्म की योजना, निष्पादन और अनुरक्षण में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।* (ii) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	वेतन बैंड-1, के वेतनमान और ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसे अति कुशल श्रेणी-I (सिविल) आफिसर, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले

(10)	(11)
(iii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल के कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा । *कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती ।	व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं हैं जिसके न हो सकने पर, ऐसे अति कुशल श्रेणी-I आफिसर, जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं हैं और जिन्होंने अति कुशल श्रेणी-I (सिविल) और अति कुशल श्रेणी-II (सिविल) के रूप में 11 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें से अति कुशल श्रेणी-I (सिविल) के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) :** नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टीनेंट/ऑनरेरी कैप्टन का रैंक धारण करने वाले इंजीनियर कोर से ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक/योधक कार्मिक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों यथा विहित अर्हताएं और अनुभव हैं । यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे आफिसरों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र आफिसर उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जा चुके हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/छानबीन समिति/निर्धारण बोर्ड है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार किए जाने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— i. संयुक्त महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर शाखा —अध्यक्ष ii. निदेशक, मुख्य इंजीनियर शाखा —सदस्य iii. उप-सचिव/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के आधार पर सशस्त्र बल कार्मिकों की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत और यांत्रिकी)	2161* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. (ग्रेड वेतन 4200 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण 1 :** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिग्री; या (I) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या बोर्ड से विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा; और (II) विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरी संकर्म की योजना, निष्पादन और अनुरक्षण में दो वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
(i) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।* (ii) 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (iii) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल के कार्मिकों के पुनर्नियोजन द्वारा । *कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती ।	वेतन बैंड-1, के वेतनमान और ग्रेड वेतन 2800 रु. में ऐसे अति कुशल श्रेणी-I (विद्युत/यांत्रिकी) आफिसर, जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणियों में छह वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं हैं जिसके न हो सकने पर, ऐसे अति कुशल श्रेणी-I आफिसर, जिनके पास स्तंभ 7 में सीधे भती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं हैं और जिन्होंने अति कुशल श्रेणी-I और अति कुशल श्रेणी-II के रूप में 11 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो, जिसमें से अति कुशल श्रेणी-I के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) :** नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टीनेंट/ऑनरेरी कैप्टन का रैंक धारण करने वाले इंजीनियर कोर से ऐसे सशस्त्र बल कार्मिक/योधक कार्मिक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों यथा विहित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव हैं । यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे आफिसरों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र आफिसर उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जा चुके हैं; तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) ।

(12)	(13)
प्रोन्नति और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त महानिदेशक, मुख्य इंजीनियर शाखा —अध्यक्ष	प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के आधार पर सशस्त्र बल कार्मिकों की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(13)

2. निदेशक, मुख्य इंजीनियर शाखा	—सदस्य
3. उप-सचिव/अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय	—सदस्य

[फा.सं. पीसी-4(ii)बी/75011/जेई(सिविल) और जेई(ई और एम)/एएमडीटी/सीएससीसी/11/आरआर/डी (नियुक्ति)]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 27th April, 2011

S.R.O. 32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineers Service, Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) in the Military Engineers Service, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineers Service, Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) Recruitment (Amendment), Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Scales of Pay.—The number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualification, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Junior Engineer (Civil)	3343* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300—34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India

(6)
(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Degree in Civil Engineering from a recognised University; or (I) Three years Diploma in Civil Engineering from a recognised Institute or University or Board; and (II) Two years experience in Planning, Execution and Maintenance of Civil Engineering works. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of SSC/Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the SSC/Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the SSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) 60% by direct recruitment*. (ii) 20% by promotion failing which by direct recruitment. (iii) 20% by deputation/re-employment of Armed Forces personnel. *Direct recruitment by SSC.	Highly Skilled Grade-I (Civil) officers in PB-1 scale of pay and Rs. 2800 Grade Pay with six years regular service in the respective grades possessing educational qualifications as prescribed for direct recruits in Col. 7 failing which Highly Skilled Grade-I officers possessing educational qualifications as prescribed for direct recruits in Col. 7 with 11 years combined regular service as Highly Skilled Grade-I (Civil) and

	(11)
	Highly Skilled Grade-II (Civil) with minimum 3 years regular service as Highly Skilled Grade-I (Civil). **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation/Re-employment (for Armed Forces Personnel) :** The Armed Forces personnel/Combatants personnel from Corps of Engineers holding the rank of Naiks, Hawaldars, Naib Subedars, Subedars, Subedars Major and Honorary Lieutenant/Honorary Captains retired or due to retire and are to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Col. 7 shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment up to the age of superannuation in respect of civil posts).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and for confirmation of direct recruits consisting of :— (i) Joint Director General, Engineer-in-Chief's Branch —Chairman (ii) Director, Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy/Under Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with UPSC for appointment of Armed Forces personnel on deputation/re-employment basis.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Junior Engineer (E & M)	2161* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

(6)
Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : Degree in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised University; or (I) Three years Diploma in Electrical or Mechanical Engineering from a recognised Institute or University or Board; and (II) Two years experience in Planning, Execution and Maintenance of Electrical or Mechanical Engineering works. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of SSC/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the SSC/Competent Authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the SSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years

(10)	(11)
(i) 60% by direct recruitment*. (ii) 20% by promotion failing which by direct recruitment. (iii) 20% by deputation/re-employment of Armed Forces personnel. *Direct recruitment by SSC.	Highly Skilled Grade-I (E/M) officers in PB-1 Scale of Pay and Rs. 2800 Grade Pay with six years regular service in the respective grades possessing educational qualifications as prescribed for direct recruits in Col. 7 failing which Highly Skilled Grade-I officers possessing educational qualifications as prescribed for direct recruits in Col. 7 with 11 years combined regular service as Highly Skilled Grade-I and Highly Skilled Grade-II with minimum 3 years regular service as Highly Skilled Grade-I.

(11)

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation/Re-employment (for Armed Forces Personnel) :

The Armed Forces Personnel/Combatants personnel from Corps of Engineers holding the rank of Naiks, Hawaldars, Naib Subedars, Subedars, Subedar Majors and Honorary Lieutenant/Honorary Captains retired or due to retire and are to be transferred to reserve within a period of one year and have the requisite qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Col. 7 shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment up to the age of superannuation in respect of civil posts).

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion and for confirmation of direct recruits consisting of :— (i) Joint Director General, Engineer-in-Chief's Branch —Chairman (ii) Director, Engineer-in-Chief's Branch —Member (iii) Deputy/Under Secretary, Ministry of Defence —Member	Consultation with UPSC for appointment of Armed Forces personnel on deputation/re-employment basis.

[F. No. PC-4(ii).B/75011/JE(Civil)&JE(E&M)/Amdt/CSCC/11/RR/D(Apptts)]
S. S. S. SARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION IV)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

Notification

New Delhi, dated the 17/4.2012

SRO24 In exercise of the powers conferred by the provion to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Military Engineers Service, Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) Recruitment Rules, 2011 namely:-

(1) The Rules may be called the Military Engineers Service Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) Amendment Recruitment rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of 27th April 2011.

2. In the schedule at Col.11, Note-2 under the heading **"Deputation/ Re-employment (for Armed Forces Personnel)** the existing entry shall be deleted and the following entry will be inserted, namely:-

"The Armed Forces personnel/Combatants personnel from Corps of Engineers holding the rank of Naiks, Hawaldars, Naib Subedars, Subedars, Subedar Majors and Honorary Lieutenant//Honorary Captains who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and have the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Col 7 shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation in respect of civil posts)"

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Recruitment Rules for the post of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) were effective from 27th April 2011. Before the expiry of that date, revised recruitment rules for the post were finalized in consultation with the Union Public Service Commission and the Department of Personnel and Training as the proposed amendment recruitment rules are applicable to those who are due to retire or to be transferred to reserve within a period one year and are having the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column 7 of this Schedule. However, it is not been possible to finalise the rules for already retired personnel. In the meantime, it has been necessary to fill up the vacant posts of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) in the Military Engineers Service at Kashmir House, New Delhi. Accordingly, the revised recruitment rules are now being notified for the post of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical and Mechanical) as effective from 27th April, 2011. It is certified that non is being prejudicially effected by reason of giving retrospective effect to these rules.

17/4/2012
(ANGNA RAM)
(Name of the Officer)
Uunder Secretary to the Government of India

Note: The principle rule were published in part-II, Section IV of the Gazette of India vide SRO Number 32 dated 27th April, 2011 and subsequently amended as under.

F.No. PC-4(ii)B/75011/JE(Civil) & JE(E&M)/Amdt/CSCC/205/RR/D(App

(A.K. Patel, JOSE)